राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–5192266, 5192265 E-mail: modelschoolest@gmail.com

पढ़े चलो, बढ़े चलो

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / न्यू डेपुटेशन पॉलिसी / 6064 दिनांक : 15/9/16

कार्यालय आदेश

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों) विशेष चयन नियुक्ति की सामान्य शर्ते एवं सेवा नियम, 2016।

उपर्युक्त नियम की अनुसूची 2 के बिन्दू संख्या 2 में प्रोत्साहन राशि के संबंध में दिशा निर्देशः–

1. यह प्रोत्साहन राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से देय होगी।
2. यह प्रोत्साहन राशि स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों को देय होगी।
3. अनूसूची 1 में उल्लेखित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति अवधि में वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर मूल वेतन+ग्रेड पे के 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार से देय होगी।

3.1 प्रतिनियुक्ति के प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि सभी प्रधानाचार्यो व शैक्षणिक कार्मिकों को प्रदान की जावेगी। परन्तु वह कार्मिक जो अधिसूचना जारी होने से पहले से ही मॉडल विद्यालय में कार्यरत है उन्हें अधिसूचना दिनांक से प्रोत्साहन प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूर्ण करने तक देय होगी। उदाहरणस्वरूपः–

प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रोत्साहन राशि देय अवधि	
01.01.2016	15.06.2016 से 31.12.2016	प्रथम वर्ष
	01.01.2017 से 31.12.2017 मूल्यांकन के आधार पर	द्वितीय वर्ष

3.2 प्रथम वर्ष के पश्चात प्रत्येक वर्ष प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों के वार्षिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन क्रमशः विद्यालय तथा विषय विशेष के कक्षा 10 व कक्षा 12 के सी. बी.एस.ई के परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जावेगा। तृतीय पक्ष मूल्यांकन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3.3 जिन विद्यालयों तथा शैक्षणिक कार्मिकों का परीक्षा परिणाम क्रमशः 65 व 70 प्रतिशत से अधिक रहता है तो क्रमशः उनके प्रधानाचार्य व अन्य शैक्षणिक कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि जारी रखी जा सकेगी। मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर प्रोत्साहन राशि बंद कर दी जायेगी।

3.4 यदि एक वर्ष पश्चात किसी प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर लिये जाते है तो आगामी वर्ष उन्हें प्रोत्साहन राशि पुनः दी जा सकेगी।

3.5 यदि किसी प्रधानाचार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिको द्वारा लगातार दो वर्ष तक निष्पादन के मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते है तो उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।

4. जब तक विद्यालयों को कक्षा 10 व 12 के सी.बी.एस.ई. के परिणाम प्राप्त नहीं होते है तब तक शैक्षणिक कार्मिकों का मूल्यांकन Appraisal Format के आधार पर प्रधानाचार्य द्वारा किया जावेगा। जिसका तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन के आधार पर औसत 70 अंक प्राप्त होने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृति के आदेश संस्था प्रधान द्वारा जारी किये जावेगे।

5. प्रधानाचार्यो के कार्यो का मूल्यांकन जिले के डीपीसी द्वारा किया जाना है। इस हेतु प्रधानाचार्य अपना Appraisal Format संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) तथा पदेन डीपीसी, रमसा को प्रस्तुत कर मूल्यांकन के आधार पर औसत 65 अंक प्राप्त करने पर विशेष भत्ता स्वीकृत करा सकेगें। (बिन्दू 4 व 5 पर अंकित Appraisal Format शाला दर्पण पर उपलब्ध है जिसे भरा जाना आवश्यक है)

6. अनूसूची 1 में नियुक्त अधिकारी/ पद धारक कार्मिक जो स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के डे–बोर्डिग विद्यालयों में कार्यरत है उनकों मूल वेतन+ ग्रेड पे का 5 प्रतिशत अनुग्रह राशि, प्रोत्साहन राशि से अतिरिक्त देय होगी। अर्थात मूल वेतन+ग्रेड पे का कुल 15 प्रतिशत राशि देय होगी तथा इन पर भी बिन्दू संख्या 1 से 5 में वर्णित समस्त निर्देश लागू होगे।

7. यह प्रोत्साहन राशि प्रतिनियुक्ति भत्ता के अतिरिक्त देय होगी।

8. यह प्रोत्साहन राशि परीवीक्षा काल के शैक्षणिक कार्मिकों को भी देय होगी। परीवीक्षा काल के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके फिक्स वेतन के 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत (डे–बोर्डिग में कार्यरत) के बराबर प्रोत्साहन राशि देय होगी।

9. जिन कार्मिकों के विरूद्ध जांच लम्बित है उनकी जांच के निस्तारण तक प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी तथा जांच अवधि की प्रोत्साहन राशि जांच के निर्णय के आधार पर देय होगी अर्थात जांच में निर्दोष पाये जाने पर संपूर्ण प्रोत्साहन राशि देय होगी तथा दंडित होने पर देय नहीं होगी।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
4. संस्था प्रधान समस्त मॉडल स्कूल।
5. कार्यालय प्रति।

14/9/16

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।